कार्यालय कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी, कोरबा

प्रथम तल, नवनिर्मित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भवन
कलेक्टर कार्यालय परिसर, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा,दिनांक 11.12.2024

फा.क./केडीयूपीएसएस/2024/115

रजगामार रोड जिला जेल के सामने स्थित कन्वेशनल सेंटर को 11 माह की अवधि हेतु उच्चतम किराये पर देने ई –निविदा आमंत्रण

ई–निविदा क. 162726(तृतीय निविदा)

रजगामार रोड जिला जेल के सामने स्थित कन्वेशनल सेंटर कोरबा को वर्तमान स्थिति में परिसर के नियमित रूप से रख रखाव, संधारण के साथ जन सामान्य/ विभिन्न संस्थाओं/ व्यक्तियों को 11 माह की किरायेदारी पर उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

प्री–बिड की बैठक दिनांक 19.12.2024 को दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक साकेत भवन सभाकक्ष में आयोजित है। परिसर को किरायेदारी पर आबंटन हेतु निर्धारित शर्तो का विवरण जिला प्रशासन के वेबसाईट www.korbamunicipal.in एवं https://eproc.cgstate.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी एवं शर्ते KUDPSS के कार्यालय साकेत भवन स्थित कार्यालय से ली जा सकती है।

11.12.24

आयुक्त सह पदेन सचिव
कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस
सोसायटी, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी

साकेत भवन, नगर पालिक निगम,कोरबा (छ.ग.)

रजगामार सड़क पर जिला जेल के समीप नवनिर्मित कनवेंशनल हॉल को 11 माह की अवधि हेतु किराये पर देने हेतु इकरारनामा की शर्तें

01. रजगामार सडक पर जिला जेल के समीप नवनिर्मित कनवेंशनल हॉल जिसका मानचित्र ऑनलाईन संलग्न है, जिसमें उक्त भवन का विस्तृत विवरण अंकित है।

02. निविदाकार को अपनी ऑनलाईन निविदा में उपरोक्त भवन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करना चाहता है, स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

03. निविदा हेतु व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा सुरक्षा राशि रू. 13,08,000/– (तेरह लाख आठ हजार रूपये) जमा कर निविदा में हिस्सा लिया जा सकता है। निविदा सुरक्षा राशि टी.डी.आर./एफ.डी.आर./ बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक के माध्यम से जमा की जा सकेगी एवं निविदा प्रपत्र राशि रू. 1000/– जमा का डी.डी. स्केपन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने के उपरांत केडीपीयूएसएस कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 27.12.2024 को दोपहर 3.00 बजे तक प्रेषित करना होगा।

04. निविदा हेतु प्री–बिड की बैठक दिनांक 19.12.2024 समय दोपहर 12.00 बजे से 1:00 बजे तक नगर पालिक निगम,कोरबा के सभाकक्ष में आयोजित की गई है।

05. अनुबंध अवधि 11 माह की होगी।

06. निविदाकर्ता 11 माह की अनुबंध अवधि के लिए परिसर को यथा स्थिति सम्पूर्ण संधारण एवं संचालन हेतु मासिक किराया देने हेतु निविदा आफर देगा।

07. निविदाकर्ता को परिसर के सम्पूर्ण संचालन एवं संधारण हेतु उच्चतम मासिक किराया रूपये. 10,90,000/– (दस लाख नब्बे हजार रूपये) निर्धारित न्यूनतम सरकारी बोली के ऊपर किराये का ऑनलाईन ऑफर देना होगा।

08. 11 माह की अवधि समाप्ति के पश्चात दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध आगामी अवधि जो भी निर्धारण किया जावे के लिए नवीनीकरण सक्षम स्वीकृति पश्चात की जा सकेगी किन्तु न्यूनतम 5% किराया में वृद्धि अनिवार्य रूप से की जावेगी, अन्यथा स्थिति में अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंध की अवधि समाप्ति पर परिसर का आधिपत्य संधारित स्थिति में कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी, जिला–कोरबा को वापस करना होगा।

09. निविदा के साथ जमा सुरक्षा राशि की रसीद की फोटो प्रति संलग्न करना होगा, साथ ही लिफाफे पर जमा सुरक्षा राशि का रसीद क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना होगा।

10. निविदा दिनांक 11.12.2024 तक ऑनलाईन ई प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से डाली जावेगी। निविदा में सुरक्षा राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क दिनांक 27.12.2024 को दोपहर 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निगम के केडीयूपीएसएस कार्यालय में प्रेषित करना होगा। निविदा दिनांक 27.12.2024 सायं 04.00 बजे खोली जावेगी।

11. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सक्षम प्राधिकारी, होगा तथा इसके लिए कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।

12. व्यक्ति/फर्म/संस्थान के ऑफर स्वीकृति की सूचना के 30 दिवस के अंदर 03 माह का अग्रिम किराया कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी, जिला–कोरबा कोष में जमा कर सोसायटी से निर्धारित 100–100 के दो नग स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर इंकरारनामा पंजीयन अनुबंध संपादित कराना होगा।

...बंध/इकरारनामा निष्पादन पश्चात ही परिसर का आधिपत्य प्रदान किया जावेगा।

आधिपत्य पश्चात परिसर के नियमित संचालन व सामान्य संधारण का उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा। बिना सोसायटी अनुमति के कोई आधारभूत परिवर्तन अनुबंधकर्ता नहीं कर सकेगा।

15. निविदा की शर्तो में नई शर्त सम्मिलित करना अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार साधारण सभा, केडीयूपीएसएस कोरबा को होगा।

16. प्रस्थापना किये जाने के पश्चात् यथा स्थिति प्रथम 01 प्रस्थापना करने वालों की प्रतिभूति निक्षेप की राशि छोड़कर, शेष सभी की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जावेगी।

17. जैसे ही प्रस्थापना की पूरी राशि प्रस्थापना करने वाले द्वारा जमा की जाती है शेष बचे एक प्रस्थापना करने वाले द्वारा जमा प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस की दी जावेगी।

18. यदि प्रस्थापना करने वाले, जिसकी प्रस्थापना स्वीकृत की गई है, द्वारा प्रस्थापना की राशि 15 दिवस के भीतर जमा नही की जाती है, तब शर्त में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वितीय प्रस्थापना स्वीकृत कर सकेगा तथा यदि ऐसी प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा भी सूचना मिलने पर विहित कालावधि के भीतर प्रस्थापना की राशि जमा नहीं की जाती है।

19. अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात् यदि किरायादार का किराया शेष है तो इससे किरायादार द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि से समायोजन कर दिया जावेगा।

20. परिसर के वर्तमान स्वरूप जिसमें सिविल कार्य, जल आपूर्ति सिस्टम, विद्युत सिस्टम एवं फिटिंग्स आदि समस्त संरचनाएं के रख–रखाव व विकास को छोड़कर उनके मूल स्वरूप में किरायेदार द्वारा कोई परिवर्तन परिवर्धन या निर्माण बिना सोसायटी की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जावेगा। केडीयूपीएसएस से स्वीकृति पश्चात् कोई भी परिवर्तन/परिवर्तन या निर्माण किरायेदार/अनुबंधकर्ता के स्वयं के व्यय पर केडीयूपीएसएस के नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के सुपरवीजन में ही किया जावेगा।

    (अ) परिसर के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य अनुबंधकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा।

    (ब) केडीयूपीएसएस द्वारा "परिसर" जिस स्थिति में किरायेदार को संचालन, संधारण एवं रख–रखाव हेतु आधिपत्य मे दिया जावेगा, अनुबंध समाप्त होने के 07 दिवस के भीतर उसी स्थिति में केडीयूपीएसएस को वापस सौपा जावेगा, जिसमें विद्युत व्यय बिल, जल कर, वर्तमान माह तक का रसीद देना होगा।

21. मासिक किराया प्रत्येक माह की 07 तारीख के अंदर अग्रिम में जमा करना होगा। विलंब की स्थिति में निर्धारित विलंब शुल्क राशि रू. 100/– प्रति दिवस देय होगा तथा लगातार 01 माह का किराया बकाया होने की स्थिति में किरायानामा निरस्त की जा सकेगी।

22. अनुबंधकर्ता को हॉल का आधिपत्य जिस आधारभूत संरचना के साथ दिया जावेगा, किरायेदारी समाप्ति के पश्चात पूर्णतः संधारित अवस्था में यथा स्थिति आधिपत्य वापस केडीयूपीएसएस को किया जावेगा। इसमें सोसायटी की स्वीकृति से आबंटिती द्वारा किए गए परिवर्तन व परिवर्धन एवं निर्माण सोसायटी की सम्पत्ति होगें। केवल पृथक से किरायेदार/अनुबंधकर्ता द्वारा स्थापित ऐसे उपकरण जो खोलकर पुनः स्थापित किए जाने योग्य होते है उन्हें किरायेदार निकाल सकेगा।

23. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् परिसर में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की राशि का आकलन कर अनुबंधकर्ता द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि से समायोजित किया जावेगा।

करायेदारी अनुबंध सम्पादन पश्चात परिसर की आधारभूत संरचनाओं की सूची संधारित कर आधिपत्य प्रदान किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति कर सूची अनुसार सत्यापन कर आधिपत्य वापस लिया जावेगा। नुकसान की गई सामाग्री की वसूली तत्कालीन बाजार मूल्य पर आंकलन कर सोसायटी द्वारा इस हेतु जमा सुरक्षा निधी से की जावेगी।

25. किरायेदारी / अनुबंधकर्ता को परिसर का आधिपत्य लेने के दिनांक से परिसर में उपभोग की गयी समस्त विद्युत के प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

26. अनुबंधकर्ता केडीयूपीएसएस द्वारा जल के भूमिगत स्थापित स्त्रोतों का उपयोग कर सकेगा तथा उन्हें संधारित करेगा साथ ही यदि जल आपूर्ति संयंत्र से जल आपूर्ति की जाती है तो उपयोग अनुसार प्रभार पृथक से केडीयूपीएसएस को देय होगा।

27. अनुबंधकर्ता द्वारा परिसर के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्निशामक यंत्रों एवं किसी दुर्घटना से बचाव के उपाय सुनिश्चित किया जावेगा।

28. आयुक्त सह सचिव, केडीयूपीएसएस अथवा उनके द्वारा अधिकृत एवं इसके लिए अधिकृत आधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी समय परिसर का निरीक्षण कर सकेंगे। अनुबंधकर्ता एवं इसके कर्मचारी निरीक्षण में सहयोग करेंगे एवं इसमें कोई व्यवधान पैदा नही करेगे।

29. परिसर से निकलने वाले अवशिष्ट निस्तारण हेतु नगर पालिक निगम, कोरबा के द्वारा निर्धारित उपभोक्ता प्रभार (यूजर चार्जेस) अनुबंधकर्ता द्वारा नियमित देय होगा।

30. अनुबंधकर्ता द्वारा परिसर में अथवा उसके आस–पास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अथवा न्यूसेंस नही किया जावेगा, अन्यथा किरायेदारी अनुबंध निरस्त करने का सोसायटी को अधिकार होगा।

31. अनुबंधकर्ता परिसर की सुरक्षा के पूर्ण उपाय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करेगा। इसके लिए वह उन उपायों की भी व्यवस्था करेगा जिनकी वर्तमान में यदि व्यवस्था केडीयूपीएसएस द्वारा नहीं की गई है, किन्तु जनहित व जन सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करना अनिवार्य है। अनुबंधकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय से शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी से फायर सेफ्टी ऑडिट निर्धारित समयावधि में नियमित रूप से कराया जायेगा। निर्धारित ऐसे उपाय करने की चूक होने पर होने वाली किसी भी जन धन हानि अथवा क्षतिपूर्ति आदि सभी का उत्तरदायित्व पूर्णतः किरायेदार / अनुबंधकर्ता का होगा।

32. अनुबंध शर्तो में से किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा जनहित में आवश्यक होने पर केडीयूपीएसएस को कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रहेगा।

33. अनुबंधकर्ता यदि चाहे तो एक माह का नोटिस देकर अनुबधं अवधि में अनुबंध समाप्त करा सकता है, ऐसी स्थिति में केडीयूपीएसएस को संभावित कोई भी क्षति की प्रतिपूर्ति केडीयूपीएसएस द्वारा अनुबंधकर्ता से की जावेगी।

34. निविदा शर्तो / अनुबंध शर्तो, संधारण एवं संचालन की अवधि के समय कोई भी विवाद अथवा शर्तो नियमों आदि की व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में अनुबंधकर्ता के आवेदन पर प्रकरण आयुक्त सह सचिव, केडीयूपीएसएस द्वारा निराकरण हेतु पंच निर्णय के लिए दिया जा सकेगा। पंच निर्णायक (आर्बी ट्रेटर) की नियुक्त कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी (केडीयूपीएसएस) द्वारा की जावेगी।

35. जिला प्रशासन की मांग पर शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अनुबंध कर्ता को कलेक्टर (केडीयूपीएसएस) सह अध्यक्ष के अनुमोदन अनुसार संपूर्ण कन्वेशन हॉल निःशुल्क उपलब्ध कराना पड़ेगा।

11.12.24

आयुक्त सह पदेन सचिव
कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)